

झारखण्ड सरकार  
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग  
(कृषि प्रभाग)

सं0सं0-04/कृ0के0यो0(Agro Forestry)-17/2024 108

/कृ0, रांची, दिनांक-...02-01-2025

प्रेषक,

अबुबक्कर सिद्दीख पी0,  
सरकार के सचिव।

सेवा में,

कृषि निदेशक,  
झारखण्ड, राँची।

विषय:- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में केन्द्रीय प्रायोजित RKVY योजनान्तर्गत Agro Forestry उपयोजना हेतु केन्द्रांश रु. 50.00 लाख, राज्यांश रु. 33.32 लाख इस प्रकार कुल रु. 83.32 लाख (तेरासी लाख बत्तीस हजार रुपये) मात्र आवंटित करने के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-39 दिनांक-15.07.2024 एवं आवंटनादेश सं0-53 दिनांक-18.07.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक स्वीकृत्यादेश के क्रम में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में केन्द्रीय प्रायोजित RKVY योजनान्तर्गत Agro Forestry उपयोजना हेतु केन्द्रांश रु. 50.00 लाख, राज्यांश रु. 33.32 लाख इस प्रकार कुल रु. 83.32 लाख (तेरासी लाख बत्तीस हजार रुपये) मात्र आवंटित की जाती है।

- यह आवंटन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-1-11/2024-RKVY दिनांक-14.11.2024 के द्वारा इस योजना हेतु द्वितीय किस्त स्वरूप विमुक्त केन्द्रांश कुल रु. 50.00 लाख के आलोक में प्रदान किया जा रहा है।
- आवंटित राशि निम्न तालिका के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में संगत बजटशीर्ष में उपबंधित राशि के अंतर्गत विकलनीय होगी :- (राशि लाख रु0 में)

क्र.	बजट शीर्ष	स्वीकृत राशि	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि
1	मुख्यशीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म, लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उपशीर्ष-CB- कृषि वाणिकी योजना, उपयोजना शीर्ष-01-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, विस्तृतशीर्ष-06-अनुदान, 52-सबसिडी 01C240100796CB010652	52.00	14.00	13.00	27.00
	01S240100796CB010652	34.66	9.33	8.66	17.99
2	मुख्यशीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म, लघुशीर्ष-115-छोटे/उपांतक किसानों तथा कृषि श्रम की योजना, उपशीर्ष-CB- कृषि वाणिकी योजना, उपयोजना शीर्ष-01-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, विस्तृतशीर्ष-06-अनुदान, 52-सबसिडी 01C240100115CB010652	124.00	31.00	31.00	62.00
	01S240100115CB010652	82.66	20.66	20.66	41.32

1 m

102

3	मुख्यशीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म, लघुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-CB- कृषि वाणिकी योजना, उपयोजना शीर्ष-01-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, विस्तृतशीर्ष-06-अनुदान, 52-सबसिडी 01C240100789CB010652	24.00	5.00	6.00	11.00
	01S240100789CB010652	16.00	3.33	4.00	7.33
	<b>कुल</b>	<b>333.32</b>	<b>83.32</b>	<b>83.32</b>	<b>166.64</b>

(तिरसी लाख बत्तीस हजार रुपये) मात्र।

4. आवंटित राशि की निकासी हेतु कृषि निदेशक, झारखण्ड, रांची/सभी संयुक्त कृषि निदेशक/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी-सह-जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जायेगी।
5. वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 से भारत सरकार के द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में राशि की विमुक्ति हेतु SNA SPARSH model की प्रक्रिया आरम्भ की गयी है। प्रासंगिक योजना के तहत नयी प्रक्रिया को अपनाते हुए स्वीकृत/आवंटित राशि का व्यय किया जायेगा तथा इस संदर्भ में भारत सरकार के द्वारा संसूचित सभी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. आवंटित राशि की निकासी एवं व्यय में वित्त विभागीय परिपत्र-2561 दिनांक-17.04.1998, 118 दिनांक-12.01.2007 के साथ-साथ अन्य सभी सुसंगत वित्तीय एवं कोषागार नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. राशि की अनियमित निकासी/व्यय एवं विचलन तथा योजना का दोहरीकरण होने पर संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।
8. आवंटित राशि का व्यय भारत सरकार की योजना मार्गदर्शिका, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-1-11/2024-RKVY दिनांक-14.11.2024 में निहित शर्तों/अनुदेशों का पालन करते हुए तथा इस संबंध में State Level Steering Committee (SLSC) की दिनांक-21.03.2024 को सम्पन्न बैठक में अनुमोदित प्रस्ताव/कार्य योजना के अनुरूप किया जायेगा। साथ ही सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रांची द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा।
9. योजना के कार्यान्वयन में राशि का व्यय वास्तविकता के आधार पर किया जायेगा, जो स्वीकृत राशि के अंतर्गत होगा। राशि का विचलन किसी अन्य कार्य में नहीं किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र/प्रत्यर्पण प्रतिवेदन विभाग को निश्चित रूप से समर्पित करना होगा। व्यय से संबंधित संपूर्ण लेखा का संधारण कृषि निदेशक, झारखण्ड, रांची द्वारा किया जायेगा तथा अंकेक्षण दल से तत्संबंधी अंकेक्षण कराते समय उसे अंकेक्षण दल को उपलब्ध कराया जायेगा।
10. आवंटित राशि के व्यय के पश्चात विस्तृत व्यय विवरणी एवं योजना कार्यान्वयन प्रतिवेदन संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड को उपलब्ध कराया जायेगा।

12

108  
02-01-2025

102

11. प्रसंगाधीन स्वीकृत्यादेश सं०-39 दिनांक-15.07.2024 में सन्निहित समस्त शर्तों एवं निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा संबंधित नियंत्री पदाधिकारी का होगा।

विश्वासभाजन

  
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-04/कृ०के०यो०(Agro Forestry)-17/2024 108 /कृ०, रांची, दिनांक...02-01-2025  
प्रतिलिपि: महालेखाकार, झारखण्ड, रांची/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, झारखण्ड/संबंधित उपायुक्त, झारखण्ड/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/उपकोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-04/कृ०के०यो०(Agro Forestry)-17/2024 108 /कृ०, रांची, दिनांक...02-01-2025  
प्रतिलिपि: कृषि निदेशक, झारखण्ड, राँची को मूल प्रति के अलावा आवंटनादेश की प्रति उनके ई-मेल आई०डी०-directoragriculturejh@gmail.com पर भेजी जा रही है तथा विभागीय वेबसाईट www.jharkhand.gov.in पर अपलोड की जा रही है।

  
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-04/कृ०के०यो०(Agro Forestry)-17/2024 108 /कृ०, रांची, दिनांक...02-01-2025  
प्रतिलिपि: माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/सांख्यिकी कोषांग, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रांची/कृषि निदेशक, झारखण्ड, रांची/सभी संयुक्त कृषि निदेशक, झारखण्ड/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी-सह-जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, झारखण्ड/नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/योजना शाखा-4, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग), झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के सचिव।



## आवंटन आदेश

### झारखंड सरकार

Agriculture, Animal Husbandry and Co-operative Department (Agriculture Di

चाहू वित्तीय वर्ष 2024-25 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 04/KKY-17/2024/108


दिनांक - 02-Jan-2025

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	C 01 240100115CB010652 2401 - फसल कृषि-कर्म 00 - फसल कृषि-कर्म 115 - छोटे/उपांतक किसानों तथा कृषि श्रम की योजना CB - कृषि वाणिकी योजना 01-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 06 - अन्दान <b>Central Scheme</b>  State Scheme : RASHTRIYA KRISHI VIKAS(1172) Central Scheme : RASHTRIYA KRISHI VIKAS YOJANA (RKVY)(9145)	79240	RNCACH028  ASEEM PRIYA AIND  DY. DIRECTOR AGRI. ENGINEERING  52 - सबसिडी	3,100,000.00  रुपये इकतीस लाख
2	S 01 240100115CB010652 2401 - फसल कृषि-कर्म 00 - फसल कृषि-कर्म 115 - छोटे/उपांतक किसानों तथा कृषि श्रम की योजना CB - कृषि वाणिकी योजना 01-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 06 - अन्दान <b>Central Scheme (State Share)</b>  State Scheme : RASHTRIYA KRISHI VIKAS(1172) Central Scheme : RASHTRIYA KRISHI VIKAS YOJANA (RKVY)(9145)	79243	RNCACH028  ASEEM PRIYA AIND  DY. DIRECTOR AGRI. ENGINEERING  52 - सबसिडी	2,066,000.00  रुपये बीस लाख छछठ हजार
3	C 01 240100789CB010652 2401 - फसल कृषि-कर्म 00 - फसल कृषि-कर्म 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना CB - कृषि वाणिकी योजना 01-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 06 - अन्दान <b>Central Scheme</b>  State Scheme : RASHTRIYA KRISHI VIKAS(1172) Central Scheme : RASHTRIYA KRISHI VIKAS YOJANA (RKVY)(9145)	79241	RNCACH028  ASEEM PRIYA AIND  DY. DIRECTOR AGRI. ENGINEERING  52 - सबसिडी	600,000.00  रुपये छः लाख

योग: 5,766,000.00  
रुपये सत्तावन लाख छछठ हजार

क्रमिक योग:

(KUMAR TARACHAND)  
DIRECTOR OF AGRICULTURE






—

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 01 240100789CB010652 2401 - फसल कृषि-कर्म 00 - फसल कृषि-कर्म 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना CB - कृषि वाणिकी योजना 01-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 06 - अन्दान <b>Central Scheme (State Share)</b>  State Scheme : RASHTRIYA KRISHI VIKAS(1172) Central Scheme : RASHTRIYA KRISHI VIKAS YOJANA (RKVY)(9145)	79244	RNCACH028  ASEEM PRIYA AIND  DY. DIRECTOR AGRI. ENGINEERING  52 - सबसिडी	400,000.00  रुपये चार लाख
5	C 01 240100796CB010652 2401 - फसल कृषि-कर्म 00 - फसल कृषि-कर्म 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना CB - कृषि वाणिकी योजना 01-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 06 - अन्दान <b>Central Scheme</b>  State Scheme : RASHTRIYA KRISHI VIKAS(1172) Central Scheme : RASHTRIYA KRISHI VIKAS YOJANA (RKVY)(9145)	79239	RNCACH028  ASEEM PRIYA AIND  DY. DIRECTOR AGRI. ENGINEERING  52 - सबसिडी	1,300,000.00  रुपये तेरह लाख
6	S 01 240100796CB010652 2401 - फसल कृषि-कर्म 00 - फसल कृषि-कर्म 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना CB - कृषि वाणिकी योजना 01-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 06 - अन्दान <b>Central Scheme (State Share)</b>  State Scheme : RASHTRIYA KRISHI VIKAS(1172) Central Scheme : RASHTRIYA KRISHI VIKAS YOJANA (RKVY)(9145)	79242	RNCACH028  ASEEM PRIYA AIND  DY. DIRECTOR AGRI. ENGINEERING  52 - सबसिडी	866,000.00  रुपये आठ लाख छछठ हजार

योग: 2,566,000.00  
रुपये तिरयासी लाख बत्तीस हजार

क्रमिक योग: 8,332,000.00

(KUMAR TARACHAND)  
DIRECTOR OF AGRICULTURE



—